

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0
 आवेदन पत्र के समन्वय में जांच की गई। जिसके अनुसार
 खेता संख्या 268 में नाम 'सन्तोष देवी' w/o शिम्भू दयाल तथा वसन्तोष देवी w/o शिम्भू दयाल ही (अर्थात्) प्रामाणिकता में शुन्ती देवी w/o शिम्भू दयाल किम्वत्ता उचित है।
 दिनांक 29/11/21

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी
 दिनांक :-

क्रमांक : राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभियोग की जाती है / की जाती है।

1752
 29/11/21

उक्त किता जांच उचित है।

29/11/2021
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला शुद्धनू (राज.)
 :- आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी-सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	वाटोली	2075-2078	265	सन्तोष देवी w/o शिम्भू दयाल	शुन्ती देवी w/o शिम्भू दयाल सैनी

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 1720-21
 प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 29/11/21

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्ते पालनाथ
2. प्रार्थी/प्राथीयाशुन्ती देवी w/o शिम्भू दयाल सैनी.....को सूचनाथ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी